**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1458**

**01.01. 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा क्षेत्र में विदेशी हिस्सा**

**1458. श्री रिपुन बोरा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा क्षेत्र में विदेशी हिस्से को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2012 के पश्चात इस प्रयोजनार्थ विभिन्न देशों में प्रौद्योगिकी विकास के संबंध में विदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विदेशी कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी भागीदारी उद्यम पर बजटीय आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की पुनरीक्षा दिनांक 24.06.2016 को 2016 श्रृंखला के प्रेस नोट सं. 5 के तहत की गई थी । मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार, स्वचालित रूट के माध्यम से 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और जहां कहीं इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए पहुंच बनने की संभावना हो अथवा अन्य कारणों के लिए जिन्हें रिकार्डबद्ध किया जा सके, सरकारी मार्ग के जरिए 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है । इसके अतिरिक्त, रक्षा उद्योग शस्त्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत लघु शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण तथा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अध्यधीन है ।

(ख): रक्षा क्षेत्र में सरकारी मार्ग के अन्तर्गत 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी नीति में संशोधन के बाद से अब तक प्रौद्योगिकी विकास पर कोई विदेशी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग)और(घ): उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*